

राजस्थान सरकार
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

प्राथीनी

1. शारदा पुत्री रामाराम जाति भील निवासी मेघराज की बेरी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. रामा पुत्र कला
2. कृष्ण पुत्र कला
3. भुंगड़ा पुत्र कला
जातियान भील निवासीगण मेघराज की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.....101.../2025

1765/25 प्राथीनी शारदा पुत्री रामाराम जाति भील निवासी मेघराज की बेरी तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री आम्बाराम पूनड़ ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 6, 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा मेघराज की बेरी पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 201 रकबा 1.5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खाता संख्या नया 34 के खसरा संख्या 406/77 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 408/77 रकबा 1.5702 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्राथीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्राथीनी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथीनी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथीनी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा मेघराज की बेरी पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 201 रकबा 1.5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खाता संख्या नया 34 के खसरा संख्या 406/77 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 408/77 रकबा 1.5702 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्राथीनी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्राथीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्राथीनी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्राथीनी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाब आगामी पेशी तारीख 21.06.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

1365/25 प्राथीनी पेश हुई। प्राथीनी वकील उपस्थित। प्राथीनी स्वयं उपस्थित। चूंकि मुद्दा को जरूर रजिनामा किया गया था, जो इस आवेदन को अपने फलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रार्थना पत्र की कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्राथीनी कैम्प्लेन ग्राम लेकर दफ्तर दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

